



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/83/2022/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद-चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/42256/2019).

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1001/12-1: देहरादून: दिनांक 23.09.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.01.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनार्ये चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पायी गई राज्य सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनार्ये प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The User Agency has submitted that, after construction of the road, a total of 300 persons will be benefitted. However, as per examination of the KML file, only a few houses/polyhouses are visible in the vicinity of the proposed alignment. In this context, a detailed clarification and justification from the Divisional Forest Officer (DFO) is required regarding the claimed number of beneficiaries.
2. Compensatory Afforestation (CA) has been proposed over Degraded Forest Land (DFL). As per the applicable rules and guidelines, Compensatory Afforestation is required to be carried out over Non-Forest Land (NFL) only. Accordingly, CA proposal needs to be revised in conformity with the prescribed norms by the concerned DFO and User Agency.

उपरोक्त में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।